बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अधिसूचना
सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश–2011

जी0 एस0 आर0 ..... पटना / दिनाक .....

आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम–10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा यथा निर्गत जी.एस.आर.–1, दिनाक 20 फरवरी 2007 एवं जी.एस. आर.–3, दिनाक 21 फरवरी 2007 द्वारा निर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2001 की कंडिका–2, 2.1(iv), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 6 एवं 7 के खण्ड (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), 8, 15 तथा 16(iv) में क्रमशः निम्नलिखित संशोधन करती है :–

संशोधन

1. इसे कंडिका– 2 के खंड (iii) के अंत में जोड़ा जाएगा :–
"उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदन पर आवेदन प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा" ।
2. कंडिका–2.1(iv), 2.2, 2.3 विलोपित ।
3. कंडिका–2.4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
नई अनुज्ञप्ति निम्नलिखित संस्थाओं को ही निर्गत की जाएगी :–
(क) प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)
(ख) स्वंय सहायता समूह
(ग) पूर्व सैनिकों का सहकारी समितियाँ
(घ) उपभोक्ता सहकारी भंडार
(ड0) महिला सहकारी समिति

स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समिति को अपने पोषक क्षेत्र के लिये ही अनुज्ञप्ति अनुमान्य होगी ।
4. कंडिका–2.5 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :–
"अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु पचपन वर्ष की आयु के भीतर होने पर ही उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति अनुमान्य होगी" ।
5. कंडिका–2.7 में शब्द "एवं आरक्षण" एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं ।
6. कंडिका–6 का प्रथम भाग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :–
" जन वितरण प्रणाली की दुकान सप्ताह में प्रत्येक दिन, माह मार्च से अगस्त तक 7.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक तथा माह सितम्बर से फरवरी तक 8.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक खुली रहेगी" ।
7. कंडिका–7 के खंड (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
"(ii) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों या अपने किसी दायित्वों एवं कर्तव्यों या राज्य सरकार के आदेश का उल्लघंन करता है तो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम–10) के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द की जा सकेगी ।

इस खंड के अधीन रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जबतक कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित रद्दकरण के विरूद्ध अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो" । इस तरह के मामले का निपटारा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा एक माह के भीतर कर दिया जायेगा ।
8. कंडिका–7 (iii), 7 (iv), 7 (v) – विलोपित ।
9. कंडिका–7 (vi) में शब्द "निलम्बन अथवा" विलोपित किये जाते हैं ।

10 कंडिका-7 के खंड (vii) में शब्द "निलम्बन" शब्द "रद्द" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

11 कंडिका-8 में शब्द "निलम्बन" एतद द्वारा विलोपित किया जाता है ।

12 कंडिका-15 में पूर्व के स्थान पर निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-

(क) "जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने, उसका नवीकरण करने से इन्कार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के, अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के पास अपील कर सकेगा ।

जिला पदाधिकारी द्वारा ऐसी अपील का निपटारा तीन माह के भीतर किया जायेगा ।

(ख) जिला पदाधिकारी के द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर किया जा सकेगा ।

पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा तीन माह के भीतर किया जायेगा ।

(ग) इस खंड के अधीन कोई भी ऐसा आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नही किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर नही दे दिया गया हो ।

(घ) अपील का निपटारा होने तक के लिए, अपील प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, वह तब तक प्रवृत्त नही होगा जब तक कि अपील का निपटारा नही हो जाता है ।

(ङ) प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्वप्रेरणा से या आवेदन किये जाने पर, प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी या अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन किये गये आदेश के किसी मामले का अभिलेख माँग सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी या अनुज्ञापन पदाधिकारी ने :-

(i) ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया है, जो उसे प्रदत्त नहीं की गयी है ।

(ii) उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथ्यों पर बिना विचारण के अविधिपूर्ण किया गया है ।

(iii) उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रहा है, तब ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह समुचित समझे ।

13 कंडिका-16 के खण्ड(iv) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

"जन वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर" ।

14 यह आदेश तुरत प्रवृत होगा ।

(प्र04-वि02-04/2001)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
23/06/11
(कृष्ण चन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04–वि02–04/2001– 5738 खाद्य, पटना/दिनांक– 23.6.2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को अंग्रेजी प्रति सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की पाँच सौ प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

23/06/11

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04–वि02–04/2001– 5738 खाद्य, पटना/दिनांक– 23.6.2011

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/06/11

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04–वि02–04/2001– 5738 खाद्य, पटना/दिनांक– 23.6.2011

प्रतिलिपि – सरकार के अपर सचिव, मंत्रिमण्डल विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–21.06.2011 को आहूत बैठक में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

23/06/11

सरकार के अपर सचिव ।